न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

निग – 2296-PBR-16

विक्रम पिता श्री किशन पाटीदार जाति कुलमी उम्र वयस्क

धंधा कृषि निवासी ग्राम खेडा तह0 बदनावर जिला धार

(27)

......................निगरानीकर्ता

बनाम

1– गेंदालाल पिता चंपालाल जाति कुलमी उम्र वयस्क

धंधा खेती निवासी ग्राम खेडा तह0 बदनावर जिला धार

2– श्री किशन पिता मुन्नालाल जाति कुलमी उम्र वयस्क

धंधा खेती निवासी ग्राम खेडा तह0 बदनावर जिला धार

..............................विपक्षीगण

आज दि. 11.7.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11/7/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम खेडा तहसील बदनावर जिला धार में स्थित भूमि सर्वे नंबर 1399 रकबा 1.012 हैक्टर निगरानीकर्ता विक्रम के मालिकी व आधिपत्य की है। विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा अवैध सीमांकन के आधार पर बिना निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना निगरानीकर्ता को नोटिस दिये निगरानीकर्ता के पीठ पीछे कोई अवैध सीमांकन अपनी भूमि ग्राम खेडा तह0 व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 1400 के संबंध में धारा 130 व 250 म0प्र0 भूरासं मुजब आवेदन पत्र नायब तहसीलदार धार के समक्ष प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता व विपक्षी क्रमांक 2 के विरूद्ध मामला प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 8/अ–70/2010–11 पर दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में कोई रूचि नही लेने से विधिक रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2014 को विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को निरस्त कर दिया। उक्त प्रकरण के निरस्त होने के बाद विधि अनुसार धारा 35 मुजब 30 दिवस में विपक्षी क्रमांक 1 को पुर्नस्थापना की अर्जी देना थी। विपक्षी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष करीब 800 दिन बाद दिनांक 03.09.2014 के आदेश को अपास्त कर पुनः प्रकरण को सुनवाई में लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि को बलाये ताक रखकर करीब 800 दिन बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र पर बिना कोई

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

रिजनिंग दिये बिना फाईडिंग के दिनांक 08.06.2016 को स्वीकार करने में विधि व तथ्य की गंभीर त्रुटि की है, जिससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न आधारो पर कानून सम्मत पेश है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2296-पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-11-18	आवेदकपक्ष की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 07-01-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	